(भारत के राजपत्र, भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अटल अक्षय ऊर्जा भवन,
सीजीओ कॉम्पलेक्स के सामने,
लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003
दिनांक :२२ अगस्त, 2022

संकल्प

सं. 254/2/2022-हिंदी-एमएनआरई : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन या हिंदी में अनूदित पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अक्षय ऊर्जा पुरस्कार योजना (विगत में "प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना") शुरु की गई थी। अब कलेंडर वर्ष 2020 के पुरस्कारों से इस योजना का नाम बदल कर **'राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा राजभाषा पुरस्कार योजना'** किया गया है और पूर्ववर्ती योजना के संबंध में पिछले दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए संशोधित/परिवर्तित/नए नाम से योजना इस प्रकार है:-

1. **नाम:** योजना का नाम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए **'राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा राजभाषा पुरस्कार योजना'** है।
2. **परिभाषा:** इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   i. "योजना" का अभिप्राय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में अनूदित पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पुरस्कार योजना से है।
   ii. "मौलिक" से अभिप्राय मूल रूप से हिंदी में लिखी गई और प्रथम बार प्रकाशित की गई पुस्तक से है।
   iii. "अनूदित" से अभिप्राय अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित की गई और प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक से है।
   iv. "पुस्तक" से अभिप्राय प्रकाशित पुस्तक से है।
   v. "वर्ष" से अभिप्राय कैलेण्डर वर्ष से है।

3. **उद्देश्य:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सरकारी कामकाज में तकनीकी/वैज्ञानिक विषयों पर कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विषयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आती है, क्योंकि हिंदी में इन विषयों में पुस्तकों की कमी है। कर्मचारियों को भी ऐसे विषयों पर अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने में

कठिनाई आती है, क्योंकि वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विषयों पर हिंदी शब्दावलियों से परिचित नहीं हैं। मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में पुस्तकों के अनुवाद को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से यह योजना चला रहा है।

4. **पुरस्कार:** इस योजना के तहत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:

श्रेणी	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार
1. हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार की राशि	1,50,000/- रु. + एक प्रमाण पत्र + एक स्मृति चिह्न	1,00,000/- रु. + एक प्रमाण पत्र + एक स्मृति चिह्न
2. अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार की राशि	1,00,000/- रु. + एक प्रमाण पत्र + एक स्मृति चिह्न	75,000/- रु. + एक प्रमाण पत्र + एक स्मृति चिह्न

5. **पात्रता मानदंड:**
   - i. लेखक भारत का नागरिक हो।
   - ii. पुस्तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विभिन्न विषयों पर लिखी हो सकती है। उदाहरण के लिए; सौर तापीय, पवन, सौर पीवी, बायोगैस, जैव-ऊर्जा, पन-बिजली, अपशिष्ट से ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, नवीन और अक्षय ऊर्जा के स्रोत इत्यादि।
   - iii. सभी लेखक, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हो, अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति हो, योजना में भाग ले सकते हैं।

6. **सामान्य शर्तें:**
   - i. प्रविष्टि उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी के लिए भेजी जा सकती है। एक से अधिक लेखक होने पर प्रत्येक सह-लेखक को निर्धारित प्रपत्र में अलग-अलग आवेदन करना होगा।
   - ii. पुस्तक कम-से-कम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए।
   - iii. पुस्तक में संबंधित विषय के बारे में विश्लेषणात्मक समीक्षा होनी चाहिए। पीएचडी के शोध पत्र, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आदि पर लिखी गई अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकें पात्र नहीं होंगी।
   - iv. योजना के तहत पहले प्रस्तुत की जा चुकी पुस्तक पुनः स्वीकार नहीं की जाएगी।

v. किसी सरकारी संगठन द्वारा पहले पुरस्कृत की जा चुकी पुस्तकें इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी। यदि इस योजना के तहत पुरस्कारों की घोषणा से पहले पुस्तक किसी अन्य पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत की जाती है, तो पुस्तक के लेखक द्वारा तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।

vi. लेखक पुस्तक में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और जहां तक संभव हो, साक्ष्य के रूप में संदर्भ देना होगा।

vii. यदि किसी व्यक्ति को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पुरस्कार मिला है तो उसकी प्रविष्टि पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) इस योजना में भाग ले सकता है।

viii. यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में कोई भी पुस्तक पुरस्कार के लिए योग्य नहीं है, तो इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

ix. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के एक से अधिक लेखक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

7. प्रविष्टियां आमंत्रित करने का माध्यम:

i. पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए निर्दिष्ट पोर्टल प्रति वर्ष **1 जनवरी से 30 जून तक** खुला रखा जाएगा। मंत्रालय द्वारा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को पुरस्कारों के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने और साथ ही, निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से प्रविष्टि भेजने का अनुरोध किया जाएगा।

ii. साथ ही, सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा यथानिर्णीत किसी अन्य संचार माध्यम पर संगत ब्यौरों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

8. प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया:

i. पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां एमएनआरई पोर्टल/राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर केवल ऑनलाइन मोड (ई-मेल या ऑफलाइन नहीं) से प्राप्त की जाएंगी। ऑफलाइन प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। प्रविष्टियां नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म **(अनुलग्नक-I)** के अनुसार, ब्यौरों सहित प्रविष्टि फॉर्म में दिए गए सहायक दस्तावेजों (अर्थात मौलिक/अनूदित पुस्तक/अनुमति पत्र आदि) के साथ भेजी जाएंगी।

ii. कोई लेखक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

9. **पुस्तकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया:**

i. योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों (पुस्तकों) का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर/वैज्ञानिक 'जी' - अध्यक्ष

ख. तीन वैज्ञानिक (एफ/ई/डी/सी) - सदस्य

ग. उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) - सदस्य सचिव

ii. मंत्रालय द्वारा गठित मूल्यांकन समिति और पुरस्कार समिति द्वारा पुरस्कार का निर्णय किया जाएगा।

iii. यदि किसी वर्ष के दौरान पुस्तक, पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो पुरस्कार समिति पुरस्कार को स्थगित करने अथवा सांत्वना पुरस्कार के रूप में उपयुक्त राशि प्रदान करने का निर्णय कर सकती है।

iv. पुस्तक का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

क्रम.सं.	**मूल्यांकन मानदंड**	**वेटेज**
1.	पुस्तक की विषय-वस्तु	15%
2.	तथ्यात्मकता और व्यावहारिकता	15%
3.	मौलिकता	15%
4.	भाषा और शैली	15%
5.	शब्दों की मानकता और एकरुपता	15%
6.	एमएनआरई के कार्यक्षेत्र के अनुरुप प्रासंगिकता	15%
7.	चित्रों की सार्थकता	05%
8.	मूल्यांकन समिति की अपेक्षानुसार कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड	05%

v. मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार मानदेय के हकदार होंगे।

vi. मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निर्णय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

10. विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सारणी

पुरस्कारों के संबंध में हर वर्ष की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय-सारणी **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

11. पुरस्कारों की घोषणा और पुरस्कार वितरण:

i. पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के निर्णय की सूचना ई-मेल द्वारा दी जाएगी और सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

ii. पुरस्कार की घोषणा के बाद माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री/माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक/समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

iii. बाहर से आने वाले पुरस्कार विजेताओं को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आने और जाने के लिए द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का रेल किराया और ठहरने के लिए दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी। दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था, पुरस्कार विजेता द्वारा स्वयं की जाएगी।

12. सामान्य सूचना:

i. इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक का अपनी पुस्तक पर कॉपीराइट बना रहेगा।

ii. पुरस्कार प्रदान करने के लिए पुस्तक के चयन अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया विधि के संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iii. योजना की समस्त जानकारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट www.mnre.gov.in पर भी उपलब्ध है।

13. पुरस्कारों से संबंधित विविध प्रावधान:

i. मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए/प्रकट किए किसी भी प्रविष्टि को अस्वीकार करने का अधिकार है।

ii. यदि किसी कलेन्डर वर्ष के लिए पुरस्कारों पर विचार हेतु उपयुक्त पुस्तकें/प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं जो उस वर्ष विशेष के लिए पुरस्कार समाप्त समझे जाएंगे।

iii. पुरस्कार विजेताओं के चयन के संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा आवेदक सहित किसी भी व्यक्ति को सरकार के निर्णय पर प्रश्न उठाने अथवा ऐसे निर्णय की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

iv. यह एक सतत योजना है, हालांकि बेहतर कार्यान्वयन के लिए कलेन्डर वर्ष 2024 के पुरस्कारों के बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है।

14. **योजना में छूट देने का अधिकार:**

यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित हो, तो इसके लिए कारण को लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी प्रावधान को आदेश जारी कर, छूट दी जा सकती है।

अनुलग्नक-I

प्रविष्टि फार्म

'राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा राजभाषा पुरस्कार योजना'

(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए)

(टिप्पणी: यदि लेखक एक से अधिक हैं, तो प्रत्येक सह-लेखक द्वारा अलग-अलग फॉर्म भरा जाना है)

नवीनतम पासपोर्ट साइज *फोटो अपलोड करें*

1. पुस्तक का शीर्षक (हिंदी में) :
   (अंग्रेजी में) :
2. क्या पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है : हां/नहीं (यदि हां, तो कृपया पुस्तक ***अपलोड करें***)
3. क्या पुस्तक हिंदी में अनूदित है : हां/नहीं (यदि हां, तो कृपया पुस्तक ***अपलोड करें***)
4. पुस्तक की विषय-वस्तु :
5. i. लेखक का नाम (हिंदी में) :
   (अंग्रेजी में) :
   क. लेखक का पूरा पता :
   ख. टेलीफोन/मोबाइल नं. :
   ग. ई-मेल पता :
   ii. सह-लेखक का नाम (हिंदी में) :

(अंग्रेजी में) :

क. सह-लेखक का पूरा पता :

ख. टेलीफोन/मोबाइल नं. :

ग. ई-मेल पता :

6. पुस्तक के प्रकाशक का नाम :

क. प्रकाशक का पूरा पता :

ख. प्रकाशन का वर्ष :

7. क्या पुस्तक को पहले भी किसी सरकारी संगठन द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है : हां/नहीं

यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें :

i. किस वर्ष में भेजी गई :

ii. किसे भेजी गई (पूरा पता) :

iii. क्या कोई पुरस्कार दिया गया :

8. कोई अन्य सूचना, जो लेखक देना चाहे :

9. **घोषणा**

क. मैंने योजना के नियम व शर्तों को पढ़ लिया है और ये मुझे पूरी तरह से मान्य हैं।

ख. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि :-

i. मैं/हम भारत के नागरिक हैं।

ii. मैंने/हमने पुस्तक को मूल रूप से हिंदी में लिखा है।

iii. मैंने/हमने पुस्तक को अन्य भाषा से हिंदी में अनूदित किया है और इसके लिए पुस्तक के प्रकाशक से आवश्यक अनुमति ले ली गई है। (**अनुमति की प्रति अपलोड की गई है**)

iv. इस योजना के तहत मेरी/हमारी पुस्तक की प्रविष्टि से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

v. मैंने/हमने पुस्तक को मेरे/हमारे शासकीय कार्य के भाग के रूप में मेरी/हमारी शासकीय हैसियत में नहीं लिखा/अनूदित किया है।

vi. मैं/हम पुस्तक में दिए गए तथ्यों और आंकडों के लिए स्वयं जिम्मेवार है।

vii. पुस्तक को इस योजना के तहत पहले नहीं भेजा गया था।

मैं/हम योजना के प्रावधानों का पालन करने का वचन देते हैं।

स्थान:

दिनांक:

लेखक(कों) के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-II

विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सारणी

क्रम सं.	गतिविधियां	तारीख/माह
1.	प्रविष्टियां शुरु करने की तारीख	1 जनवरी
2.	प्रविष्टियों के लिए अंतिम तारीख	30 जून
4.	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा प्रविष्टियों (पुस्तकों) के मूल्यांकन की प्रक्रिया	1 जुलाई से 31 जुलाई
5.	सचिव/मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदन	1 सितम्बर तक
6.	पुरस्कारों की घोषणा की तारीख	14 सितम्बर (हिंदी दिवस)
7.	पुरस्कार वितरण	पुरस्कारों का वितरण एमएनआरई द्वारा यथानिर्धारित तारीख और समय पर माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एमएनआरई द्वारा आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक/समारोह में किया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(संजय कुमार शाही)
वैज्ञानिक – 'डी'

सेवामें,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड़, नई दिल्ली

सं.254/2/2022-हिंदी- एमएनआरई:

दिनांक : २२ अगस्त, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
6. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली
7. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली
8. नीति आयोग, नई दिल्ली
9. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
10. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
12. महालेखाकार, नई दिल्ली
13. सभी राज्य सरकारें
14. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन
15. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
16. माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के निजी सचिव
17. माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव
18. सचिव, एमएनआरई के पीएसओ
19. अपर सचिव, एमएनआरई के वरिष्ठ पीपीएस
20. संयुक्त सचिव(प्रशासन) के पीएसओ
21. सभी ग्रुप/डिवीजन प्रमुख
22. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सभी स्वायत्त निकाय और संस्थान
23. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग
24. वेतन एवं लेखा अधिकारी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली
25. निदेशक, एनआईसी, एमएनआरई को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(संजय कुमार शाही)
वैज्ञनिक – 'डी'